पत्रांक–जी / नि0सु0अ0–14–67 / 2015............................. /

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषक

विमलेश कुमार झा
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
बिहार, पटना

पटना, दिनांक–..............सितम्वर, 2017

विषयः– **निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में गृह विभाग, बिहार, पटना की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति की नौ (09) प्रतियाँ एवं सी0डी0 संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषय की महत्ता को देखते हुए इसे शीघ्रताशीघ्र राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में 2–3 बार प्रकाशित करने की कृपा की जाय, ताकि सूचना का प्रचार–प्रसार अधिक से अधिक हो सके।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–.........8058......... **पटना, दिनांक....07....सितम्बर, 2017**

प्रतिलिपि :– आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग(विशेष शाखा),बिहार, पटना को प्रेस विज्ञप्ति की प्रति के साथ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0 7/9/17

सरकार के संयुक्त सचिव

452 D/Y/Security Agency/Draft

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार राज्य में निजी सुरक्षा अभिकरण अधिनियम, 2005 एवं बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 प्रभाव में है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्तिधारी अभिकरण ही राज्य में अवस्थित किसी भी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी प्रतिष्ठान एवं परिसर में सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। यह अनुज्ञप्ति निर्गत करने की शक्ति विशेष सचिव-सह-नियंत्री प्राधिकारी, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार में निहित है। वैध अनुज्ञप्ति के बिना निजी सुरक्षा अभिकरण का कार्य करना एवं सुरक्षा प्रदान करना दण्डनीय अपराध है।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मात्र वैध अनुज्ञप्तिधारियों को ही निजी सुरक्षा के कार्य में लगाया जाए, ताकि निजी सुरक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बनी रहे एवं इन अभिकरणों के कार्यकलाप पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जा सके। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वैध अनुज्ञप्तिधारियों की सूची गृह विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट **www.home.bih.nic.in** के **"Security Agencies Info."** पृष्ठ पर उपलब्ध है एवं इसे नियमित रूप से अद्यतन भी किया जाता है। यदि किसी निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा वैध अनुज्ञप्ति के बिना कार्यरत होने की सूचना प्राप्त हो तो, उस संबंध में विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), पुराना सचिवालय, पटना एवं संबंधित जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जा सकता है।

अभिकरण अनुज्ञप्ति हेतु इच्छुक व्यक्ति/कंपनी/फर्म अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदन का प्रपत्र एवं अर्हताएँ एवं अन्य सूचनाएँ विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

07.09.17
सरकार के विशेष सचिव

452 D/Y/Security Agency/Draft